66

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ————/2017 पुनरीक्षण

इ/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/4732

1. अजयसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत, आयु 57 वर्ष
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत आयु 50 वर्ष
3. महिपाल सिंह पुत्र श्री दौलतसिंह राजपूत आयु 47 वर्ष

निवासीगण राजेन्द्रनगर पठार मौहल्ला बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

दिनांक 29-11-17 को श्री राहुल बंसल अभि० द्वारा प्रस्तुत।
29-11-17
पे० दि० 8-12-17

——*आवेदकगण/निगरानीकर्ता*

बनाम

1. किशोरसिंह पुत्र श्री भीमसिंह राजपूत आयु 70 वर्ष, निवासी मकान नं. एल–78 संत आसाराम नगर लहारपुर भोपाल मध्यप्रदेश
2. विजयसिह पुत्र श्री भीमसिंह राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी 10, अनुरागनगर शालीमार टाउनशिप के पीछे इन्दौर मध्यप्रदेश

——*अनावेदकगण*

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता1959 पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 119/अपील/2016–17 से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदक द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 44 (1) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गयी थी, उक्त अपील के अन्तर्गत अनावेदकगण द्वारा पठारी तहसील बासौदा की

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– एक / निग0 / विदिशा / भू.रा. / 2017 / 4732 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल बंसल उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा के आलोच्य आदेश दिनांक 19–9–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलंब को सद्भावनापूर्ण मानते हुए विलंब क्षमा कर, प्रकरण को गुणदोष पर सुनने के लिए नियत किया है । विलंब क्षमा करना यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है । उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है ना ही कोई विधिक त्रुटि है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	